



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062026-273549
CG-DL-E-17062026-273549

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2026/ज्येष्ठ 26, 1948

No. 432]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2026/JYAISTHA 26, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 483(अ).— केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, जिसमें 80% से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है:-

‘राष्ट्रीय क्षय एवं श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली’

[फा. सं. ई-11013/19/2021-हिंदी(खंड-4)]

एलांगबम रॉबर्ट सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th January, 2026

G.S.R. 483(E).— In pursuance of Sub Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies the following subordinate office of the Ministry of Health and Family Welfare whose 80% staff have acquired working knowledge of Hindi, in the Gazette of India: -

‘National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases, New Delhi.’

[F. No. E-11013/19/2021- Hindi(Part-4)]

ELANGBAM ROBERT SINGH, Jt. Secy.